



## कार्यालय निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा पंचकूला

आदेश क्रमांक 12/54-2014 प्रशा0 (3)

दिनांक, पंचकूला 08/02/2016

मुख्य सचिव हरियाणा सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त पत्र क्रमांक 52/3/2015-3जीएस।।। दिनांक 18.01.2016 जो कि चरित्र एवं पूर्णवृत्त का सत्यापन करवाने से सम्बंधित है, निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। दिशा-निर्देशों की दृढ़ता से पालना की जाए।

1. निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।
2. निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 हरियाणा, गुडगांव।
3. राज्य के सभी प्राचार्य, डाईट।
4. राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारी।
5. राज्य के सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी।
6. मुख्यालय के सभी अधिकारी/अधीक्षक।
7. निजी सहायक/निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।
8. जूनियर स्केल स्टैनोग्राफर/अतिरिक्त निदेशक प्रशासन-1 एवं II
9. स्टैनो/संयुक्त निदेशक प्रशासन।
10. प्रोद्योगिकी अधिकारी (आई0टी0सैल) मुख्यालय।
11. प्रशासन शाखा में कार्यरत सहायक-। तथा ।।।

सहायक निदेशक प्रशासन  
कृते: निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा  
हरियाणा पंचकूला  
08/02/2016

Published on the website.  
Jh  
12/2/16

D:\MONAJITIN SINGLA\CIRCULAR\SANCTION.DOC

Programma (AK)

Secondary Edu.

40Admn(G)  
22-1-16

हरियाणा सरकार  
मुख्य सचिव कार्यालय, हरियाणा  
सामान्य प्रशासन विभाग

सरकारी आदेश

क्रमांक 52/3/2015-3जीएस III

दिनांक : 18.01.2016


सेवा में

1. हरियाणा सरकार के सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रशासकीय सचिव।
2. राज्य के सभी विभागाध्यक्ष।
3. आयुक्त, अम्बाला, हिसार, रोहतक तथा गुड़गांव मण्डल।
4. सभी बोर्डों/निगमों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सभी मुख्य प्रशासक तथा प्रबंध निदेशक।
5. डी0आई0जी0 (सी0आई0डी0) हरियाणा चण्डीगढ़।
6. रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़।
7. सभी उपायुक्त तथा उपमण्डल अधिकारी (नागरिक)।
8. हरियाणा राज्य में सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार।
9. प्राचार्य हरियाणा लोक प्रशिक्षण संस्थान (HIIPA) सैक्टर-16, पंचकुला।

विषय:-

चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन करवाना।

सहोदय/महोदया,



उपर्युक्त विषय पर कृपया हरियाणा सरकार के परिपत्र क्रमांक 52/77/88-एस(1), दिनांक 11 जनवरी, 1989 तथा हिदायतें क्रमांक 52/3/94-एस.1, दिनांक 17.03.1994 की ओर ध्यान दें जिस में यह अवलोकन किया गया था कि सरकार को स्पष्ट हिदायतों के बावजूद भी कई विभागों द्वारा चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन करवाने के सम्बन्ध में पहले सम्बन्धित उपायुक्त तथा डी0आई0जी0 (सी0आई0डी0) से पत्र व्यवहार नहीं किया जाता और उन द्वारा चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन नियुक्ति से पूर्ण करवाने के स्थान पर नियुक्ति के बाद करवाने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित नीति से छूट प्रदान करने के लिए प्रस्ताव मुख्य सचिव (सेवाएं विभाग) को भेज दिए जाते हैं। इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए सन्दर्भित परिपत्र द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन के सम्बन्ध में विभाग पहले सम्बन्धित उपायुक्त तथा डी0आई0जी0 (सी0आई0डी0) से पत्र व्यवहार करें और यदि उनसे उत्तर आने में देरी हो तो तब ही चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन के बारे में जारी की गई हिदायतों में छूट दिये जाने के सम्बन्ध में अपना प्रस्ताव मुख्य सचिव (सेवाएं विभाग) को भेजा जाए। इन हिदायतों में यह भी स्पष्ट किया गया था कि छूट केवल विशेष केसों में ही देने बारे विचार किया जा सकता है और सामान्यतः प्रत्येक विभाग को सरकार द्वारा जारी की गई नीति सम्बन्धी निर्देशों की अनुपालना करना अनिवार्य होगा।

ऐसा देखने में आया है कि कई विभागों द्वारा उक्त हिदायतों की अनुपालना नहीं की जा रही है और चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन करवाने के सम्बन्ध में बिना कोई प्रयास किए ही नियुक्ति से पूर्ण चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन करवाने से छूट/ढील सम्बन्धी प्रस्ताव इस विभाग को भेज दिए जाते हैं जो कि सरकार की हिदायतों के विपरीत है। अतः स्पष्ट किया जाता है कि भविष्य में उन प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा जो सरकार की हिदायतें क्रमांक 52/3/94-एस.1, दिनांक 17.03.1994 कचे अनुदेशों के अनुकूल नहीं होंगे। इस स्थिति में आपसे पुनः अनुरोध है कि सरकार के परिपत्र क्रमांक 52/77/88-एस(1), दिनांक 11.1.89 तथा हिदायतें क्रमांक 52/3/94-एस.1, दिनांक 17.03.1994 द्वारा जारी किये गये निर्देशों की दृढ़ता से अनुपालना की जाये।

भवदीय

नेता कृष्ण

अधीक्षक सामान्य सेवाएँ-III

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

आंतरिक वितरण:-

उपरोक्त निर्देशों को राज्य सरकार की वेबसाइट पर उलटने के लिए एन.आई.सी. प्रभारी उत्तरदायी होगा।